



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231890
CG-DL-E-16122021-231890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4828]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943

No. 4828]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5209(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में NH4 के कि.मी. 340 से कि.मी. 403.4 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" को "संयुक्त कर्नाटक" और "08.09.2021" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में NH48 (ओल्ड एन एच-4) के कि.मी. 340 हावेरी से कि.मी. 403.4 हुब्बल्ली तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: धारवाड़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हुब्बली				
	गांव का नाम: चेब्बी				
1	349/1A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर कमर्शियल	0.1152	हनुमगौद मंजुनागौडा एंस्/ओ भीमनागौद (३४९/१अ)
	गांव का नाम: गब्बूर				
2	78	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1151	1.एषाक् बेम्बलगी 2. विरुपक्षी बेम्बलगी 3. सुधा विश्वेन्द्रकुमार (78)
	गांव का नाम: पाले				
3	105	निजी	नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल	0.0403	1.उल्लागड्डी गुरुनाथ एंस्/ओ मरीबसप्पा 2.उल्लागड्डी सिद्धप्पा एंस्/ओ मरीबसप्पा (१०५/अ/४)
4	105	निजी	नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल	0.0403	1.उल्लागड्डी एषाक् एंस्/ओ शिवप्पा 2.उल्लागड्डी इराव्वा डबल्यू/ओ शिवप्पा (१०५ /अ /३)
5	105	निजी	नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल	0.0403	1.उल्लागड्डी कल्लप्पा एंस्/ओ बसप्पा 2. उल्लागड्डी रेणुका एंस्/ओ बसप्पा 3.उल्लागड्डी मंजुनाथ एंस्/ओ बसप्पा

					(१०५/अ/५)
6	105	निजी	नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल	0.0101	बालपनावर शिडप्पा ऍस्/ओ गडगेप्पा (105/ए/6 गर्म पंचायत नो. 186)
7	105	निजी	नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल	0.0101	लक्ष्मण यल्लप्पा सरस्वती (105/ए ग्रेम् पंचायत नो.143)
8	105	निजी	नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल	0.0101	1.सुल्तानसभ अल्लासब अगासर 2. बाबूसाब अल्लासब अगासर (१०५/अ ग्राम पंचायत नो.१४२/अ , १४२)
गांव का नाम: वरूर					
9	153	निजी	ड्राई	0.101	1.मुदकप्पनावर महावीर ऍस्/ओ देविन्द्रप्पा 2.मुदकप्पनावर कल्लप्पा ऍस्/ओ देवेन्द्रप्पा 3.मुदकप्पनावर एषाक् ऍस्/ओ देवेन्द्रप्पा (153/1)
तालुक का नाम: कुन्दगोल					
गांव का नाम: बल्लिगाटी					
1	19	निजी	ड्राई/ नॉन एग्रीकल्चर	0.0413	अष्टकला सुब्रमण्यम ऍस्/ओ पुराषोत्तम (19/1)
2	19	निजी	ड्राई/ नॉन एग्रीकल्चर	0.0404	प्राकाष् ऍस्/ओ तिम्मन्ना दसनुर (१९/४)
3	19/2	सरकारी	ड्राई	0.2824	मर्म खानी (19/2)
			कुल	0.8466	

[फा. सं. NHAI/11013/01/2010-LA/KRT/DHA/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2021

S.O. 5209(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH4 on the stretch

of land from Km. 340 to Km. 403.4 (SLAO Office, Dharamahal 1st floor, 5th cross, UB Hill , Dharwad) in the district of DHARWAD in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Times of India*” and “*Samyukta Karnataka*” both dated 08.09.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of Six laning & Strengthening of Km 340 to Km. 403.400 Haveri – Hubballi section of NH48 (old NH4) to be executed as Hybrid Annuity mode under NHDP Phase-V in the district of DHARWAD in the State of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: DHARWAD		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hubballi					
Village: Chebbi					
1	349/1A	Private	Non-Agriculture(Commercial)	0.1152	Hanumagoudr Manjunagouda S/o Bhimanagoud 349/1A
Village: Gabbur					
2	78	Private	Non-Agriculture	0.1151	1.Ashok Bembalagi 2. veerupakshi Bembalagi 3. Sudha Vishwindrkumar 78
Village: Pale					
3	105	Private	Non Agriculture(Residential)	0.0403	1.Ullagaddi Gurunath S/o Maribasappa 2.Ullagaddi Siddappa S/o Maribasappa 105/A/4
4	105	Private	Non Agriculture(Residential)	0.0403	1.Ullagaddi Ashok S/o Shivappa 2.Ullagaddi Iravva W/o Shivappa 105/A/3
5	105	Private	Non Agriculture(Residential)	0.0403	1.Ullagaddi Kallappa S/o Basappa 2. Ullagaddi Renuka S/o Basappa 3.Ullagaddi Manjunath S/o Basappa 105/A/5
6	105	Private	Non Agriculture(Residential)	0.0101	Balappanavar Shiddappa S/o Gadigeppa 105/A/6 Garm Panchayat No. 186
7	105	Private	Non Agriculture(Residential)	0.0101	Lakshman Yallappa Saraswati 105/A Gram Panchayat No.143

8	105	Private	Non Agriculture(Residential)	0.0101	1.Sultansab Allasab Agasar 2. Babusab Allasab Agasar 105/A Gram Panchayat No.142/A, 142
Village: Warur					
9	153	Private	Dry	0.101	1.Mudakappanavar Mahaveer S/o Devindrappa 2.Mudakappanavar Kallappa S/o Devendrappa 3.Mudakappanavar Ashok S/o Devendrappa 153/1
Taluk: Kundgol					
Village: Belligatti					
1	19	Private	Dry/Non-Agriculture	0.0413	Ashtakala Subrmanyam S/o Purashottam
2	19	Private	Dry/Non-Agriculture	0.0404	Prakash S/o Timmanna Dasanur 19/4
3	19/2	Government	Dry	0.2824	Murm Khani 19/2
			TOTAL	0.8466	

[F. No. NHAI/11013/01/2010-LA/KRT/DHA/3D1]

RAJESH GUPTA, Director